

पत्र संख्या-एम-4-07/2018...4004...वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव(व्यय) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष
बिहार, पटना ।

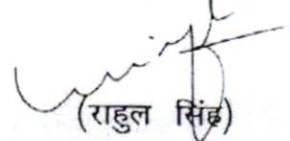
पटना, दिनांक-31-5-18

विषय:- GeM Portal पर सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय अधिसूचना 9230 दिनांक 27.11.2017 द्वारा GeM Portal पर सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में आवश्यक निदेश निर्गत किये गये हैं तथा वित्त विभागीय अधिसूचना 1407 दिनांक 22.02.2018 द्वारा दिनांक 01.04.2018 से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में GeM Portal पर सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति को अनिवार्य कर दिया गया है ।

अतः अनुरोध है, कि विभाग कार्यहित में अपनी आवश्यकतानुसार अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों/नगर निकायों/बोर्ड/प्राधिकार/सोसाईटी/एजेन्सी इत्यादि में GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए वित्त विभागीय अधिसूचना 9230 दिनांक 27.11.2017 में निर्गत निदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक निदेश अपने स्तर से दे सकता है ।

विश्वासभाजन,


(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।